न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(140)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बैतूल/भूरा/2017/4336 विरूद्ध आदेश दिनांक 6-12-2016 पारित द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद, प्रकरण क्रमांक 182/अपील/14-15

1-मुकेश जसूजा पिता राजकुमार जसूजा
2-राहुल जसूजा पिता राजकुमार जसूजा
दोनों निवासी राजेन्द्र वार्ड गंज बैतूल तहसील व जिला बैतूल

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1-रमेश खत्री पिता स्व0भवानीदास झाम
द्वारा सरोज खत्री पत्नी रमेश खत्री
2-हर्षवर्धन खत्री पिता रमेश खत्री
3-हिमांशी पिता रमेश खत्री
4-महिमा पिता रमेश खत्री
निवासीगण स्टेट बैंक के सामने, क्लर्क कॉलोनी
बैतूल जिला बैतूल म0प्र0
5-अनिल झाम पिता स्व0भवानीदास
निवासी गंज पेट्रोल पंप के पास माता मंदिर के पीछे
रेलवे कॉलोनी बैतूल गंज बैतूल जिला बैतूल
6-सतीष झाम पिता स्व0 भवानीदास झाम
निवासी राजेन्द्र बार्ड गंज बैतूल जिला बैतूल
7-नरेन्द्र झाम पिता स्व0 भवानीदास
निवासी दिलबहार लॉज गंज बैतूल जिला बैतूल

.....अनावेदक

श्री रविशंकर, अभिभाषक, आवेदक

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1 से 4

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29/8/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-12-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनिल कुमार खत्री व अन्य ने अधीनस्थ न्यायालय नजूल अधिकारी बैतूल के समक्ष नजूल बैतूल शीट नम्बर 23 प्लाट नम्बर 01/32 रकबा 480 वर्गफुट एवं शीट नम्बर 26 प्लाट नम्बर 08/136 रकबा 1020 वर्गफीट कुल रकबा 1500 वर्गफीट पर श्री भवानीदास का नाम नजूल खसरा में दर्ज है तथा भवानीदास का दिनांक 30-1-06 को स्वर्गवास हो गया गया है । भवानीदास अपनी जीवित अवस्था में वसीयत अनावेदकगण के नाम से कर गये थे । प्रश्नाधीन संपत्ति पर अनावेदकगणों के नाम दर्ज करने का आवेदन प्रस्तुत होने पर नजूल अधिकारी द्वारा दिनांक 16-3-06 को संहिता की धारा 110 के तहत प्रश्नाधीन भूमि पर से भवानीदास का नाम निरस्त कर उसके स्थान पर कृष्णावंती, अनिल कुमार, सतीष कुमार, नरेन्द्र कुमार के नाम दर्ज किये गये । नजूल अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 द्वारा प्रथम अपील अपर कलेक्टर को प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 19-2-15 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के से व्यथित होकर अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 6-12-16 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर नजूल अधिकारी एवं अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निरस्त किये गये । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) आवेदकगण सूचना एवं पक्ष समर्थन के अभाव में न्याय प्राप्त करने से वंचित हुये हैं जबकि विधि अनुसार प्रत्येक आवश्यक पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरण मामलों के क्रियान्वयन हेतु प्रचलित एवं स्थापित विधि का अनुशरण नहीं किया तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया इस कारण आवेदकगण न्याय से बंचित रह गये है ।

(3) अधीनस्थ आयुक्त न्यायालय द्वारा काल्पनिक तथ्यों के आधार पर आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील में यह उल्लेख किया है कि वसीयतनामा फर्जी तैयार किया गया है जबकि अनावेदक क्रमांक 5 लगायत 7 एवं इनकी माता श्रीमती कृष्णावती का नाम सम्पूर्ण वैधानिक प्रक्रिया के उपरांत नजूल अधिकारी द्वारा दिनांक 16-3-2006 को वसीयत के आधार पर दर्ज करने का आदेश पारित किया गया जबकि अनावेदक क्रमांक 5 लगायत 7 एवं श्रीमती कृष्णावर्ती का नाम नजूल अभिलेख में वसीयत के आधार पर दर्ज है । यदि अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 वसीयत को चुनौती देना चाहतेहै तो उन्हें नियत समयावधि में व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वसीयत निरस्त करने की घोषणा हेतु दावा प्रस्तुत करना चाहिये था किन्तु अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 द्वारा असत्य आधारों पर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) वसीयत के आधार पर नामान्तरण हेतु नजूल अधिकारी द्वारा कृष्णावती पत्नी स्व0 भवानीप्रसाद तथा अनिल कुमार, सतीष कुमार व नरेन्द्र कुमार वल्द स्व0भवानीप्रसाद के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये ।

(2) नजूल अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा अपील निरस्त की गई ।

(3) अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा अपील स्वीकार की गई है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये ।

(4) नजूल अधिकारी के आदेश के विरूद्ध भी भूमि अनावेदक क्रमांक 5 से 7 द्वारा विक्रय की गई । उक्त आदेश की निगरानी केता जो कि आवेदक के द्वारा की गई है, जबकि जिस भूमि को क्रय किया गया है वह पट्टे वाली भूमि है, उसको बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना क्रय किया गया है, इस कारण वह विक्रय पत्र शून्य है ।

(5) पट्टे वाली भूमि का हस्तान्तरण उसके वारिसों के नाम होगा न कि अन्य व्यक्ति के नाम हस्तान्तरण वसीयत नामा या विक्रय पत्र तो नहीं किया जा सकता इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ अनावेदक क्रमांक 5 से 7 तक प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त सम्पत्ति स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं होकर पट्टे तथा लीज की भूमि है, जो कि नजूल मेंटेनेंस खसरा में वादग्रस्त भूमि पट्टे की भूमि उल्लेखित है । अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 प्राकृतिक पक्षकार थे, किन्तु नजूल अधिकारी के न्यायालय में उन्हें न तो पक्षकार बनाया गया है और न ही पक्ष समर्थन का कोई अवसर दिया गया है । इस संबंध में आयुक्त द्वारा विवेचना उपरांत विधिसंगत निष्कर्ष निकालते हुए नजूल अधिकारी एवं अपर कलेक्टर के आदेश निरस्त किये गये हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्क अमान्य किये जाते हैं ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-12-2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर